

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महत्वपूर्ण / विशेष ध्यानाकर्षकण / अनुस्मारक

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की संस्थाएँ।

पत्रांक: प्राशिप/परिषद/2021/ 6113

लखनऊ: दिनांक 20/10/2021

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारणी निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण, अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 119/2021/3040/26-3-2021-4(358)/07 टी0 सी0-111, दिनांक 19 अक्टूबर 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छाया प्रति संलग्न), जिसके द्वारा संस्थाओं को प्रक्रियात्मक कार्यवाही पूर्ण किये जाने यथा-मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने, पाठ्यक्रम का प्रकार, कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक इत्यादि हेतु समय-सीमा दिनांक 19 अक्टूबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक निर्धारित की गयी है।

परिषद के पूर्व पत्र संख्या प्राशिप/परिषद/2021/2201/2204 दिनांक 27-7-2021, प्राशिप/परिषद/2021/4949 दिनांक 16-8-2021, प्राशिप/परिषद/2021/5074 दिनांक 21-8-2021, प्राशिप/परिषद/2021/5184 दिनांक 25-8-2021 तथा प्राशिप/परिषद/2021/5690 लखनऊ दिनांक 17-9-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर सूचना प्रविष्टि के समय ए0आई0सी0टी0ई0/परिषद द्वारा प्रदत्त अनुमोदन/सम्बद्धता पत्र के अनुसार ही संस्था का नाम, प्रवेश क्षमता एवं इत्यादि की त्रुटिरहित प्रविष्टि किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु कतिपय संस्थाओं द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है तथा इस कार्य में उदासीनता बरती गयी है, यह अत्यंत खेद का विषय है। आपके इस कृत्य से संस्था में अध्ययनरत् छात्र/छात्राएं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं।

समस्त संस्थाओं को पुनः निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पोर्टल पर अपनी संस्था द्वारा लॉक किये गये पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, शुल्क इत्यादि की परिषद द्वारा निर्गत सम्बद्धता पत्र तथा शुल्क के शासनादेश आदि का परीक्षण करते हुए छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर समस्त त्रुटिरहित कार्यवाही दिनांक 21 अक्टूबर 2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

यदि आपकी संस्था में परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम तथा आप द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर फीड किये गये पाठ्यक्रमों में कोई भिन्नता है तो संलग्न प्रारूप के अनुसार सूचना की प्रविष्टि रु0- 100/- के स्टाम्प पेपर पर कराते हुए तथा अपनी संस्था का डिजिटल लॉक प्रपत्र (रंगीन प्रति जिसमें संस्था का नाम भी प्रदर्शित हो रहा हो) फीस के शासनादेश तथा परिषद द्वारा निर्गत सम्बद्धता पत्र (2019-20, 2020-21 एवं 2021-22) को संलग्न करते हुए परिषद कार्यालय में प्रत्येक दशा में दिनांक 25/10/2021 तक जमा कराना सुनिश्चित करें।

समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर डिजिटल लॉक किये गये डाटा को परिषद द्वारा निर्गत सम्बद्धता पत्र से मिलान करते हुए समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत नवीनतम दिशा-निर्देशों/समय सारणी के अनुसार समस्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, तथा प्रत्येक दशा में दिनांक 25/10/2021 तक अपना आवेदन समस्त प्रपत्रों/अभिलेखों सहित परिषद कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे कि कोई भी छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति लाभ से वंचित न रह सके। उपरोक्त के बावजूद भी यदि आप द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न किया गया एवं इस हेतु आपकी संस्था में अध्ययनरत कोई छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति लाभ से वंचित रह जाता है, तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(रश्मि सोनकर)

संयुक्त सचिव

कृते सचिव

पृ० सं० - प्राशिप/परिषद/2021/ 6114-18

तद दिनांक- 20/10/2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ को अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को विशेष सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित संस्था प्रधानाचार्य को उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. नोडल अधिकारी, यू०आईज पोर्टल, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० कानपुर।

(रश्मि सोनकर)

संयुक्त सचिव

कृते सचिव

संख्या-17/2021/3040/26-3-2021-4(358)/07 टी.सी.।।।

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों के आनलाइन आवेदन हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1591/स०क०/शिक्षा-अ/7/52/2021-21, दिनांक-18.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों के आनलाइन आवेदन हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

- 2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या-116/2021/2891/26-3-2021-4(358)/07 टी०सी०-।।। दिनांक 08-10-2021 द्वारा निर्गत समय-सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2021-22)	संशोधित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2021-22)
1	2	3	4
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाएँ) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	17 सितम्बर 2021 से 27 सितम्बर 2021 तक	19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 2021 तक
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt	17 सितम्बर 2021 से 27 सितम्बर 2021 तक	19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2021 तक

	Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।		
1बी	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	17 सितम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2021 तक	19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 2021 तक
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	28 सितम्बर 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक	22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2021 तक
2ए	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करना।	12 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक	09 नवम्बर, 2021 तक
2बी	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	01 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक	09 नवम्बर, 2021 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा	12 अक्टूबर 2021 से 29	09 नवम्बर, 2021 तक

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय/अफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा लॉक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक न की जाय) आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	अक्टूबर 2021 तक	
कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण के अवशेष (Renewal) छात्र/छात्राओं हेतु		
04 छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना।	21 अक्टूबर 2021 तक	25 अक्टूबर 2021 तक
05 छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हार्डस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व दो कार्य दिवसों में।
06 ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	25 अक्टूबर 2021 तक	27 अक्टूबर 2021 तक
07 छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अप्रसारित करना।	28 अक्टूबर 2021 तक	28 अक्टूबर 2021 तक

नोट:- शासनादेश संख्या-116/2021/2891/26-3-2021-4(358)/07 टी0सी0-III दिनांक 08-10-2021 एवं शासनादेश संख्या-106/2021/2666/26-3-2021-4(358)/07 टी0सी0-III, दिनांक-16-09-2021 द्वारा जारी पूर्व समय-सारिणी की अन्य तिथियां एवं निर्देश यथावत रहेंगे।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावतियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

पुसं- 119/2021/ 3040 (1)/26-3-2021 तद्विनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/ मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

Signed by के० रविन्द्र

नायक

Date: 19-10-2021 15:12:14

Reason: Approved

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- C-1625/स0क0/शिक्षा-अ/7/52/2021-22

लखनऊ, दिनांक: 19 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, अल्पसंख्यक कल्याण/समाज कल्याण विभाग।
- 2- अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- निदेशक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा व बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समय-सारिणी के शासनादेश संख्या-119/2021/3040/26-3-2021-4(358)/07 टी.सी. III दिनांक 19.10.2021 की प्रति छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ तदनुसार मास्टर डाटा आप्शन खोलने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
- 9- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0।
- 10- रजिस्ट्रार, आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बी, योगा सिद्ध बोर्ड, उ0प्र0।
- 11- वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
- 12- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 13- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद में मास्टर डाटा लाक करने से अवशेष पात्र विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/संस्थाओं को विशेष रूप से सूचित करते हुए मास्टर डाटा लाक करने का कार्य दिनांक 21.10.2021 तक तथा छात्रों से आवेदन कराने का कार्य 25.10.2021 तक तथा संस्थाओं से आवेदन पत्र अग्रसारित कराने का कार्य 28.10.2021 तक दिन-प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुए पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा जनपद में स्थित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेंसी तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए संबंधित को अपने स्तर से सूचित भी करने का कष्ट करें।


19/10/21
(पी0 के0 त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक
